**संख्या- 109/2019/2019/30-3-19-42एम/2014**

प्रेषक,

अनिल कुमार मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 22 अगस्त, 2019

विषय - मा0 सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में गठित कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के आदेश के क्रम में सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ में विशेष कार्याधिकारी (शिक्षा) का पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-452स0सु0/2019-43स0सु0/2014-18, दिनॉक 02 अप्रैल, 2019 तथा पत्र संख्या-204(जी)सड़क सुरक्षा/2019-43स0सु0/2014, दिनॉक 04 जुलाई, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-19/187/30-3-15-42एम/2014, दिनांक 27-02-2015 द्वारा सृजित किये गये विशेष कार्याधिकारी के 03 पदों के अनुक्रम में ही श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सड़क सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देने के लिये मा0 सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के निर्देशों के कार्यान्वयन पर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन एवं मा0 सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी की बैठक दिनांक 29.10.2018 के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद एवं मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित "उच्चस्तरीय समिति" के सचिवालय के रूप में गठित सड़क सुरक्षा सेल में विशेष कार्याधिकारी (शिक्षा) के 01 (एक) अस्थायी पद को उनके सम्मुख उल्लिखित वेतनमान में इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से अथवा पद के भरे जाने की तिथि से, जो भी बाद में हो, दिनॉक 28 फरवरी, 2020 तक की अवधि के लिए बशर्ते कि ये पद बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जाएं, सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

| क्र0सं0 | पदनाम | पदों की संख्या | भर्ती का स्रोत | वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | विशेष कार्याधिकारी (शिक्षा) | 01 (एक) | सेवा स्थानान्तरण द्वारा | वेतन बैण्ड-3-15600-39100 ग्रेड वेतन 6600 पुनरीक्षित वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स लेवल-11, रू0 67700-208700) |

2- उक्त के अनुक्रम में ही उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा में सुधार हेतु मा0 सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के निर्देशों के क्रम में पदधारक को शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत वेतन-भत्ते तथा अन्य भत्ते, जो भी नियमानुसार अनुमन्य हो, देय होंगे।

2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014, नियम-9 के खण्ड-(ग) में दी गयी व्यवस्था के क्रम में उक्त नियमावली के नियम-4(3) में उल्लिखित "लेखाशीर्ष -3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय" से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-9-1236/दस-19, दिनॉक 14 अगस्त, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(अनिल कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या-109/2019/2019/(1)/30-3-2019, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
3- वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-9
4- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उ0प्र0, सचिवालय, लखनऊ।
5- कार्मिक अनुभाग-1
6- कार्मिक नियमावली सेल।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in